न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/ 399

दिनांक – 12/03/19

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 देवाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी आलोणियों की ढाणी (बान्दरा) तहसील व जिला बाडमेर।		1 हनुमानराम पुत्र मगाराम 2 गोमदाराम 3 नवलकिशोर 4 उदाराम 5 लालाराम 6 निम्बाराम पिसरान नथाराम निवासी राऊजी की ढाणी (कवास) 7 मोहम्मद 8 तालब 9 मांगे खां पिसरान जुसबा 10 रहमान पुत्र गफुर 11 फातमा पत्नी गफुर जाति तेली निवासी कवास 12 गुमनाराम पुत्र रूपाराम 13 खेमाराम पुत्र आईदानराम 14 घमंडाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी आलोणियों की ढाणी (बान्दरा) तहसील व जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 33/2019 दिनांक– 07.03.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा अलोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 850/514 रकबा 23.15 बीघा व खसरा संख्या 1097/808 रकबा 34.08 बीघा कुल रकबा 57.19 बीघा भूमि तथा मौजा चन्दाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 635/514 रकबा 17.04 बीघा, खसरा संख्या 675/514 रकबा 16.08 बीघा व खसरा संख्या 706/524 रकबा 12.04 बीघा कुल रकबा 45.16 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(हस्ताक्षर)
(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2019/400-403

दिनांक– 12/03/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. देवाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी आलोणियों की ढाणी (बान्दरा) तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी हनुमानराम पुत्र मगाराम वगैराह निवासी राऊजी की ढाणी (कवास) तहसील व जिला बाडमेर।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner